न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/124

1. दुर्गालाल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री गोबरी लाल जाति माली निवासी रामगंज तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मोहन लाल आत्मज श्री गोबरी लाल जाति माली निवासी रामगंज तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम रामगंज तहसील एवं जिला बून्दी
2. रूपचन्द पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम रामगंज तहसील एवं जिला बून्दी
3. नाथी बाई पत्नी रामरतन जाति माली निवासी ग्राम बडगॉव बावडी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. भूली उर्फ मूली पत्नी श्री भंवर लाल जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. धापू बाई पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री एजाज रिजवी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 से 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 30.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामगंज तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 01 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 मि रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 06 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 08 मिन रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 मिन रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 10/3 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 मिनल रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 11/1 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 11/3 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी की नानी मु0 पारी बाई बेवा भैरू कौम माली के पूर्व में खातेदारी की भूमि है । मु0 पारी बाई के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी एंव दो पुत्रियॉ गंगा बाई एवं जमना थी जिसमें जमना लाऔलाद फौत हो गई उसके बाद पारी बाई की पुत्री गंगा बाई के वारिस व जयन्दा पुत्र–पुत्री प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 रहे जिसमें से प्रार्थी जगदीश ने नानी की सेवा सुश्रुषा की । मु0 पारी ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी जगदीश को अपना एक मात्र वारिस घोषित करके मौखिक रूप से मालिक व स्वामी घोषित कर दिया । बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा बिना अधिकार के कानून विरूद्ध रूप से उक्त भूमि को कंवरा आत्मज बरधा के खातेदारी में 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि अवैध रूप से खतोदारी में दर्ज कर दी एवं कंवरा के बाद उक्त भूमि उसकी पुत्री मांगी बाई एवं मांगी बाई की मृत्यु के बाद मांगी बाई के पुत्र अप्रार्थी संख्या 5 व 6 दुर्गालाल व मोहन लाल के नाम खातेदारी में दर्ज हुई । उक्त भूमि अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम खतोदारी में दर्ज हुई क्योंकि मु0 पानी बाई ने न तो कंवरा को भूमि बेचान की और न ही कभी उनरको भूमि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित की, बल्कि उक्त भूमि को सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप से कंवरा के खातेदारी में दर्ज किया उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 व 6 खातेदारी में दर्ज हुए इस कारण उक्त भूमि के खाते से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 दुर्गालाल व मौहन लाल का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर प्रार्थी जगदीश को खातेदार घोषित किया जावे । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 के उपचरण (ब) व (स) में वर्णित भूमियों के खातेदारी में से रूपचन्द व दुर्गालाल व मोहनलाल का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है । अप्रार्थीगण वर्तमान जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं भारग्रस्त करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 के उपचरण (ब) व (स) में वर्णित भूमि को रहन, बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करे एवं भूमि के स्वरूप को परिवर्तन नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 1 लगायत 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी गील्या पुत्र भैरू के खाते की थी । गील्या पुत्र भैरू के द्वारा उक्त भूमियॉ कंवरा पुत्र बरधा को दी गई थी । गील्या के खाते में उक्त भूमियॉ सेटलमेंट के काफी समय पूर्व से ही चली आ रही थीं । उक्त भूमियॉ पारी बाई की नहीं थी फिर भी उक्त भूमियॉ पारी बाई की मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2021 को निर्णय पारित किया गया जिसकी नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.04.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा दिनांक 29.04.2021 को नकलें प्राप्त हुई । दिनांक 03.07.2021 तक कोरोना महामारी चल रही थी । इसलिए उक्त अपील समय पर पेश नहीं की जा सकी थी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारी गील्या आत्मज भैरू माली था । गील्या आत्मज भैरू के खाते में जो भूमि अंकित थी उसका खातेदार कंवरा आत्मज बरधा आज से करीब 60 साल हो गये । कंवरा के खाते दर्ज होने के बाबत् प्रार्थी जगदीश के पूर्वजों द्वारा तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की है ऐसी परिस्थिति में वादी जगदीश को यह दावा लाने का कोई अधिकार नहीं था । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि मु0 पारी बाई की मृत्यु कब हुई थी । मु0 पारी बाई के पति ने अपनी जीवनकाल में कोई कार्यवाही की या नहीं इस बाबत् भी कोई अंकन नहीं किया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस आगे बढाते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि भूमि सेटलमेंट ने त्रुटि में अपीलान्ट के नाम कर दी हो, क्योंकि इनके वाद का मुख्य आधार ही सेटलमेंट की त्रुटि है । मैं वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार हूँ और खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व ही मेरे खाते में थी । अपीलान्ट की कमजोरी का लाभ उठाकर इन्होंने विवादित भूमि पर 2019 में कब्जा कर लिया । इन्होंने सेटलमेंट विभाग को पक्षकार भी नहीं बनाया । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 का कोई हक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सीजे 2019 (1) (राज0) पेज 450, सीजे 2019 (3) (राज0) पेज 1321 उद्धृत किये ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मु0 पारी बाई बेवा भैरू के नाम से खातेदारी में दर्ज आ रही थी । संवत् 2008, 2009, 2010 में पुराने खसरा नम्बर 08 मिन व 10 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 10 एंव 10 बने हैं दोनों भूमियॉं पारी बाई बेवा भैरू के खाते में दर्ज है । परी बाई के दो पुत्रियॉं गंगाबाई एवं जमना बाई थी । मु0 पारी बाई ने मौखिक वसीयत से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 जगदीश को दे दी थी । सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि अप्रार्थी अपीलान्ट कम 5 व 6 के बिना किसी सक्षम आदेश के नाम दर्ज कर दी । अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी गील्या पुत्र भैरू के खातेदारी में दर्ज होना साबित हो । मेरा वाद घोषणा व बंटवारे का है, मैंने तहसीलदार को पक्षकार बनाया है । अतः अलग से सेटलमेंट विभाग को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में इनका स्वयं का कथन है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने सन् 2019 में इन्होंने कब्जा कर लिया । हालांकि कब्जा हमारा पूर्व से ही है तथा वर्तमान में भी कब्जा हमारा ही है । इन्होंने गिल्या की भूमि के पुराने दस्तावेज पेश नहीं किये । विवादित भूमि प्रारम्भ से ही पारी बाई बेवा भैरू की रही है तथा संवत् 2009–10 के रिकॉर्ड से पारी बाई की मौखिक वसीयत तथा वंश में होने से उक्त भूमि जगदीश की है तथा वर्तमान में कब्जा भी जगदीश का है । हमने पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रथमदृष्टया प्रस्तुत किये हैं । पक्षकारान के हक, अधिकार लम्बित वाद के निस्तारण में तय होने हैं, वर्तमान में केवल विवादित भूमि का संरक्षण किया जाना है ताकि वाद बहुलता न बढे तथा न्याय प्राप्त हो सके । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 144, आरआरडी 1994 पेज 581, आरआरडी 2005 पेज 349, आरआरडी 2004 पेज 560, डीएनजे 2010 (3) पेज 1274, आरआरडी 1965 पेज 120 उद्धृत किये ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों से प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं होती है । सेटलमेंट विभाग ने कोई गलती की या नहीं ? प्रश्नगत भूमि क्या प्रारम्भ से ही अपीलान्ट की है ? प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षकारान के हक, अधिकार व स्वत्व मूल वाद के निस्तारण के समय ही होंगे । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में फाइडिंग दी है कि विवादित भूमि को लेकर लडाई–झगडा होने का पूर्ण अंदेशा है, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशंका है । वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में

कब्जा भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के संरक्षण तथा प्रकरण में जटिलता तथा वाद–बहुलता न बढे तथा कानून व्यवस्था सुचारू रखने के कम में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा